Form No. III

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

भगवानसिंह आदि ..........................................बनाम .......................राज्जो वगै0.........................

किस्म मुकदमा ...प्रार्थना पत्र धारा 212 आर टी एक्ट ...................नं. 165/24 सन 2024

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल मे जारी हुए |
|---|---|---|
| 15.07.2024 | प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करनें का निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 02 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 174 रकवा 0.13, 175 रकवा 0.45, 179 रकवा 0.40, 180 रकवा 1.15 हैक्ट. वाके कस्बा बयाना तहसील बयाना स्थित है में प्रार्थीगण के हिस्से की आराजी के उपयोग उपभोग में बाधा नहीं करें। शान्तिपूर्वक काश्त करने देवें। प्रार्थीगण को उनके हिस्से से बेदखल कर कब्जा नहीं करें। रिकार्ड और मौके की यथास्थिति बनाये रखें। साथ ही प्राईमा फेसी केस व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है।<br>हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।<br>प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों व दस्तावेजो का गहनता से अध्ययन किया। अतः उभयपक्ष के विरूद्व अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी 20.08.2024 तक इस आशय की जारी की जाती है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 02 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 174 रकवा 0.13, 175 रकवा 0.45, 179 रकवा 0.40, 180 रकवा 1.15 हैक्ट. वाके कस्बा बयाना के मौके की यथास्थिति बनाये रखें।<br>**नोट– यह स्थगन आदेश 251A व 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत रास्ते सम्बन्धी विधि अनुसार की जाने वाली कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा साथ ही यदि प्रार्थी, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त खसरा नम्बरान का कोई समर्पण कराना चाहता है तो स्थगन का प्रभाव नहीं रहेगा। इसके आधार पर कृषि कार्य बंद नहीं करवाया जावे।**<br>पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो अप्रार्थीगण को जरिये साधारण/रजिस्टर्ड डाक द्वारा तलबी हेतु तलबाना पेश हो अन्यथा आगामी तारीख पेशी को अस्थायी निषेधाज्ञा स्वतः ही निष्प्रभावी समझी जावे पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 20.08.2024 को पेश हो।<br>उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर) | |
| 20/8/24 | [illegible] पेश हेतु दि. 24/9/24 को पेश हो | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|---|---|
| 24/9/25 | [illegible] बयाना से [illegible] बयाना [illegible] बयाना [illegible] 20/11/25 को पेश हो [illegible] |
| 11/11/25 | प्रकरण आज वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा०पत्र के आधार पर तलब किया गया। वकील प्रार्थीगण ने प्रा०पत्र प्रस्तुत कर जाहिर किया कि प्रार्थीगण प्रकरण आगे नहीं चलाना चाहते हैं। प्रकरण इसी स्तर पर खारिज कर किया जावे।<br>अतः प्रकरण वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर [illegible] होवे बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।<br>[illegible]<br>उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर) |

[illegible] 11.11.25